

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1244/रा०आ०उ०सं०/दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय आदेश सं०-९८३/रा०आ०उ०सं०, दिनांक 19.10.2015 के द्वारा इस आशय से प्रसारित की गयी थी कि यदि सम्बन्धित कार्मिकों को सूची में वर्णित तथ्यों या क्रम के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो वह उक्त सूची के प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर आपत्तियां पूर्ण साक्ष्य सहित राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्राप्त करा दें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जा रही है।

संलग्नक—अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

११/१२/१५
(मोनिका मित्तल)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून

नोट: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची विभाग की वेबसाईट www.scdrc.uk.gov.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रेषकः

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष,
समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 1245/ रा०आ०उ०सं० /

दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

विषयः जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करने के सम्बन्ध में।
महोदय,


उपरोक्त विषय के संबंध में जिला फोरमों में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची आयोग के पत्रांक 982/ रा०आ०उ०सं०, दिनांकित 19.10.2015 के द्वारा इस आशय से प्रसारित की गयी थी कि यदि सम्बन्धित कार्मिकों को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में वर्णित तथ्यों या क्रम के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो वह उक्त सूची के कार्यालय में प्राप्त होने के दिनांक से, 10 दिन के भीतर आपत्तियां पूर्ण साक्ष्य सहित राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्राप्त करा दें।

अतः जिला फोरमों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जा रही है।

संलग्नक—अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

दिनांकित: 11.12.2015

सादर,

भवदीया,

(मोनिका मिश्र)
निबंधक

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून

नोटः जिला फोरमों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची विभाग की वेबसाईट www.scdrc.uk.gov.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।